



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चि KOCHI



केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं. //39/14/2018 -रा.भा.

तारीख/Date: 24.02.2021

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य,
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय,
कोच्चि, कोचिन-18

All the members of the O L I C,
Central Tax & Central Excise
Commissionerate, Kochi, Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.02.2021 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 18.02.2021.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.02.2021 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Please find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi-18 held on 18.02.2021. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,

अजितेश 24.2.21

(डॉ अजितेश राधाकृष्णन/Dr. AJITESH RADHAKRISHNAN)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.
3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय
P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.02.2021 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 18.02.2021

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 18.02.2021 को अपराह्न 03.30 बजे केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त श्री के.आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में मुख्यालय के अनुभाग प्रमुख संयुक्त /सहायक आयुक्तों के साथ आयोजित की गई। मंडल कार्यालयों के प्रभारी सहायक आयुक्त गूगल मीट - ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिए। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened with the Section Heads –Joint/Assistant Commissioners in Hqrs. office on 18.02.2021 at 03.30 pm under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Commissionerate. Assistant Commissioners in charge of divisional offices attended the meeting through Google Meet – Online. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती) Name of the Officer(S/Shri/Smt)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	डॉ.अजितेश राधाकृष्णन Dr. Ajitesh Radhakrishnan	संयुक्त आयुक्त[का.व सत.] Joint Commissioner[P&V]	मुख्यालय Hqrs.
2	एस. वीरमुत्तु S.Veermuthu	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	मुख्यालय Hqrs.

3	हरीश के. Harish K.	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	एर्णाकुलम मंडल Ernakulam Division
4	महेंद्रवर्मा Mahendravarma Ra	उप आयुक्त Deputy Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Division
5	बिजु पॉल Biju Paul	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	इडुक्की व पेरुम्बावूर मंडल Idukki & Perumbavoor Divisions
6	एम.आर.रामचंद्रन M. R. Ramachandran	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	आलुवा मंडल Aluva Division
7	बीना आर. Beena R.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्याय.नि.,ब.वसूली, एसवीएलडीआरएस Adjn., Arrear Recovery, Review & SVLDRS
8	वी शांति V.Shanthi	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	तक.,सांख्यिकी,ई डी पी, संसद प्रश्न व जी एस टी कक्ष Technical, Statistics, EDP, Parliament Questions & GST Cell
9	लखी नारायण दास Lakhi Narayan Das	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	लेखा परीक्षा /Audit
10	राजा टोमी Raja Tomy	अधीक्षक Superintendent	आलुवा मंडल Aluva Division
11	मुरलीधरन पी.ए. Muraleedharan P.A.	अधीक्षक Superintendent	त्रिश्शूर व चालक्कुडी मंडल Thrissur & Chalakkudy Division
12	श्रीमती रोसेलिन जोस थॉमस कोरुत Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी Senior Translation Officer	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।

The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / **Action taken on the decisions of the last meeting.**

a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। **Documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 should be issued only in bilingual form:**

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाए। पिछली तिमाही में 64 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the previous quarter 64 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, राजभाषा अनुभाग

**Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn.,
Vigilance sections, PRO, OL Section**

b. विभागीय पत्रिका [ई-पत्रिका] "कैरली" का प्रकाशन /Publication of departmental magazine [e-magazine]"Kairali :-

समिति को सूचित किया गया कि विभागीय पत्रिका "कैरली" ई -पत्रिका संबंधित एक परिपत्र जारी किया गया और इस में राजभाषा अनुभाग का ई-मेल आईडी olhindisection1492020@gmail.com भी दिया गया ताकि रचनाएं उस ई-मेल आईडी में भेजी जा सकें | अब तक 2 रचनाएं ही प्राप्त हुई हैं | इस पर अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों एवं मंडल कार्यालयों के प्रभारी संयुक्त/उप/सहायक आयुक्तों को निदेश दिया कि मार्च महीने के प्रथम सप्ताह तक रचनाएं प्राप्त होनी चाहिए और मार्च महीने जके अंत तक ई-पत्रिका प्रकाशित करनी है |

The Committee was informed that a circular on departmental magazine "Kairali" [e-magazine] was issued showing the email id of Official Language section olhindisection1492020@gmail.com so that articles may be sent to that id through email. Two articles received so far. On this, the Chairman directed all the members and Joint/Deputy/Assistant Commissioners in charge of divisional offices that the articles should be received by the first week of March,2021 and e-magazine has to be published by the end of March,2021.

कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग Action: All Sections/Divisions

c. नव नियुक्त अधिकारियों को हिंदी टंकण में प्रशिक्षण / Hindi typing training to all newly recruited officers :-

समिति को सूचित किया गया कि मुख्यालय में कार्यरत नव नियुक्त अधिकारियों को हिंदी टंकण में प्रशिक्षण दिया गया | अध्यक्ष ने निदेश दिया कि 2021, अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में राजभाषा नीति पर एक दिन की कार्यशाला मुख्यालय में कार्यरत नव नियुक्त अधिकारियों को तथा राजभाषा नीति पर एक और दिन की कार्यशाला मंडल एवं रेंज कार्यालयों में कार्यरत नव नियुक्त अधिकारियों को आयोजित की जाएं |

The Committee was informed that Hindi typing training was given to newly appointed officers in Hqrs. office. The Chairman directed that a one day workshop on OL policy may be conducted in Hqrs office for the newly appointed officers in Hqrs. office and a one day workshop on OL policy may be conducted online for the newly appointed officers in divisions and ranges in the first week of April,2021.

कार्रवाई:राजभाषा, प्रशिक्षण अनुभाग / Action: OL, Training Sections

d. हिंदी पुस्तकालय की ई - सूची और तकनीकी तथा प्रशासनिक शब्दावली / E-Catalogue for Hindi library and Technical and Administrative Glossary:-

समिति को सूचित किया गया कि हिंदी पुस्तकालय की ई-सूची कार्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित की गई है | अध्यक्ष ने निदेश दिया कि तकनीकी तथा प्रशासनिक हिंदी शब्दों की शब्द सूची भी ई -ऑफिस तथा कार्यालय वेबसाइट में उपलब्ध कराई जाएं और सभी अनुभाग, मंडल और रेंज कार्यालयों में ईमेल द्वारा भी परिचालित की जाएं |

The Committee was informed that an e-catalogue for Hindi library has been published in office's website. The Chairman directed that Technical and Administrative glossaries should also be made available in the e-office and office website and also circulated by email to all sections, divisional and range offices.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग / Action: OL Section

e. लोक लेखा समिति को भेजने वाली मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं का हिंदी अनुवाद / Hindi Translations of Draft Audit Paras [DAPs] forwarded to Public Accounts Committee.

अध्यक्ष महोदय निदेश दिया कि लोक लेखा समिति को भेजने वाली मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं उनके

हिंदी अनुवाद के लिए को वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को दे दी जाएं ताकि हिंदी अनुवाद भी लोक लेखा समिति को भेजी जा सकें |

The Chairman directed that draft audit paras going to PAC may be given to the Senior Translation Officer for its Hindi Translation so that Hindi version also can be sent to the PAC.

कार्रवाई:राजभाषा, लेखा परीक्षा अनुभाग / Action: OL, Audit Sections

II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई | वे इस प्रकार हैं:-

पिछली तिमाही (2020 जुलाई,अगस्त,सितंबर)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 50.7%

वर्तमान तिमाही(2020 अक्टूबर,नवम्बर,दिसम्बर)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 53.4%

यथाक्रम दिनांक 30.09.2020,31.12.2020 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क - 49.7%-48.7%,ख- 63.6%- 55.5%, ग - 48.5%-48.4%।

The Committee was informed percentage of Hindi noting and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

Percentage of Hindi noting in previous quarter(July, August, September) - 50.7%

Percentage of Hindi noting in current quarter(October, November, December) - 53.4%

A-49.7%-48.7%,B-63.6%-55.5%, C-48.5%-48.4% for the quarters ending on 30.09.2020,31.12.2020 respectively.

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि ई ऑफिस में उपलब्ध हिंदी टिप्पणियों का उपयोग करें | अध्यक्ष महोदय ने निवारक, समीक्षा, विधिक एवं न्यायनिर्णयन अनुभागों में सामान्य टेम्पलेट्स(जैसे कि आदेश की संख्या, प्राप्ति की तिथि आदि सूचित करने के लिए) बनाने का निदेश भी दिया |

The Chairman directed to make use of the Hindi notes available in e-office. The Chairman directed to make common templates in Preventive, Review, Legal and Adjudication sections (for eg. showing the no., date of receipt of the order etc)

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

III विविध/Miscellaneous :-

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

a. अनुभागों/ मंडल कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण तथा हिंदी रोस्टर का अपडेशन | / OL Hindi inspection of Sections/Divisions and updating Hindi Roster:-

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मुख्यालय के सभी अनुभागों में राजभाषा निरीक्षण किया जाए | मंडल कार्यालयों में भी जहां तक हो सके राजभाषा निरीक्षण किया जाए | हिंदी रोस्टर का भी ऑनलाइन विवरण एकत्र कर अपडेट किया जाए।

Chairman directed that OL inspection may be conducted in all the sections in Hqrs. OL inspections in Divisions also may be inspected as far as possible. Hindi Roster also may be updated by collecting details online.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग / Action: OL Section

b. वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीदी/ Purchase of Books for the Hindi Library as per Annual Programme.

समिति को सूचित किया गया कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार चौथी तिमाही में हिंदी पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदी जायेंगी |

The Committee was informed that as per Annual Programme books will be purchased for the Hindi library in the fourth quarter.

कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग / Action: OL Section

c. वर्दी मी द्विभाषी बैज- संसदीय राजभाषा समिति को दिया गया आश्वासन / Bilingual badges on Uniforms – Assurance to Parliamentary Committee on OL. Badges on Uniforms समिति को सूचित किया गया कि जन संपर्क अधिकारी इकाई में द्विभाषी बैज की कमी है और नव नियुक्त और नए पदोन्नत अधिकारियों इसे खरीद नहीं सका। यह संसदीय राजभाषा समिति को दिया गया आश्वासन भी है। अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि वर्दी पर लगाने वाले बैज द्विभाषी रूप में कराए जाएं और जन संपर्क अधिकारी इकाई में रखे जाएं ताकि इसकी आपूर्ति नव नियुक्त और नव पदोन्नत अधिकारियों को की जा सके।

The Committee was informed that there is shortage of bilingual badges in PRO unit and newly appointed and newly promoted officers couldn't purchase it. It is also an assurance to the Parliamentary Committee on OL. The Chairman directed that badges on the uniforms may be made in bilingual form and kept in the PRO unit so that it can be supplied to the newly appointed and newly promoted officers.

कार्रवाई: जन संपर्क अधिकारी इकाई / Action: PRO unit

d. आयुक्तालय के नाम पट्ट त्रिभाषी रूप में बनाना / Commissionerate's name board in trilingual form:-

अध्यक्ष महोदय ने संयुक्त आयुक्त (का.व सत.) एवं जन संपर्क अधिकारी को निदेश दिया कि आयुक्तालय की प्रवेश द्वार पर (लॉबी) में आयुक्तालय के एक नाम पट्ट त्रिभाषी रूप में रखा जाए।

The Chairman directed JC (P&V) and the PRO that a trilingual name board of the Commissionerate may be kept in the Commissionerate's entrance(lobby).

कार्रवाई: जन संपर्क अधिकारी, अधीक्षक Action: PRO Supdt

e. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक वर्तनी पर जारी पुस्तक की खरीदी | / Purchase of book on Standard Terminology published by BIS.

अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक वर्तनी पर जारी पुस्तक भी खरीदी जाए।

The Chairman directed to purchase the book on Standard Terminology published by BIS.

कार्रवाई: राजभाषा हिंदी अनुभाग / Action: OL Hindi Section

सदस्यों से कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराह्न 4.00 बजे समाप्त हुई।

As no suggestion came from the members the meeting ended at 4.00 pm with vote of thanks to the Chair.

अजितेश
24.2.21

(डॉ. अजितेश राधाकृष्णन / Dr. AJITESH RADHAKRISHNAN)

संयुक्त आयुक्त (का.व सत.) / JOINT COMMISSIONER (P&V)